


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बहादुर बनाम सरकार मु0नं0 96 / 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: right;">  23/9/2021. (बाबूलाल गोयल) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर </p>	



96
2020

2020/00105

न्यायालय मू प्रबन्ध अधिकारी स्वम पदेन राजस्व

अपील अधिकारी जयपुर केम्प दौसा 60/16

2016/00140

बहादुर पुत्र भोरया जाति गुर्जर निवासी सुमेल सुर्द तह० बुसवा जिला दौसा

बनाम

राज० सरकार जरिअ तहसीलदार बसवा

श्री रागभवा (सई)
रि० वी० पेडा (कि०)

द्वितीय अपील विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला

क्लेक्टर दौसा दिनांक 31-3-16 प्रकरण

उनवानी बहादुर बनाम सरकार मु०न० 28116

व निर्णय तहसीलदार बसवा दिनांक 29-1-16

प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बहादुर

मु०न० 79615 का धारा 91 राज० लेण्ड रे० २०

मान्यवर महोदय ,

संज्ञाप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाटि को अधि० न्यायालय

तहसीलदार बसवा जिला दौसा ने चराहगाह मूमि खसरा न० 58611

रकबा ०-15 हे० वाके ग्राम समेल सुर्द पर अतिक्रमण मानते हुए 9० दिन

का कारावास व पेलन्टी से दण्डित करदिया था । अपीलाटि ने

तहसीलदार जी बसवा के इस निर्णय के विरुद्ध अपील अतिरिक्त

जिला क्लेक्टर दौसा के यहा की परन्तु उन्होने अधि० न्यायालय

तहसीलदार जी बस वा के निर्णय को यथावत रखते हुए अपीलाटि को

पश्चात वर्ती अतिक्रमि मानते हुए निर्णय जेर अपील पारित कर

अपीलाटि की सजा को यथावत रखने का निर्णय पारित करदिया

सई
रि० वी० पेडा
21/04/16